

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

संजीव

बनाम

महावीर आदि

दावा बाबत :- 8877A-ct

मुकदमा नम्बर :- 78/2021

निर्णय दिनांक :- 9-11-2021

वादी की ओर से वकील मुंशीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं०.1.C.F.2 की ओर से वकील मानुप्रताप सिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 9-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

रोही मौजा हुवावन्तपुरा के खाता सं-6670 के खसरा सं-21/1 की 7.588 हे. खसरा सं-80 की 6.829 हे. खसरा सं-138/1 की 3.75 हे कुल 18.173 हे. बरानी खातेदारी में प्रतिवादी सं-1 महावीर के नाम 1/4 हिस्सा राजसव रियासत के वजह से प्रतिवादी सं-1 महावीर का नाम कलम पत्र किया जाकर वादी संजीव कुमार व प्रतिवादी सं-2 विक्रमसिंह का बहिस्सा बराबर के खातेदार का नाम व वाकित किया जाता है - मुंशी प्रतिवादी सं-1 व 2 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं-2 को पसु के द्वारा कर मुंशी कर लिया है इसलिए आग का गप हिस्सा पर पंजीपत्र किया जा पत्र पंजीपत्र मुंशी एवं स्टाभ्य उपयुक्त असा करण व सदि हुरि मुंशी के लिये रखे जा ता स्टाभ्युत घन के उपरान्त दा राजसव रियासत में अमल परामुप किया जावे राजागामा का डिक्री का आग यदा जाय।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 9-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

(निर्वा प्रभारी)

सहायक सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

प्र.गा. के संग/कैम्प कोर्ट
भादरा, जिला हनुमानगढ़

जाय